

- ✓ सरकारी को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/कर्मचारी कानूनियल और इंडिया, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उन्हें प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु समय-समय पर निर्दिष्ट नवीनतम आरक्षण नियमों का अनुपालन करना बाध्यकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट तथा प्रतियोगिता शिक्षा के पुस्तकालय पोर्टल पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पुस्तें भूमि, संपत्ति, संचय-सञ्चय, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रियामें हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रेगुलर टोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक उपस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रसारित/संचालित पाठ्यक्रम को बहाल करने हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख भूमि-भवन, कर्मचारी, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश प्रतियोगिता शिक्षा (समिति) और उपसमितियां, संस्थाओं का सम्बद्ध किया जाना विनियमावली, 2000 के प्राविधानानुसार परिषद की पक्ष पर अपने कर्मचारियों, भवनों और कर्मचारी को परिषद को परीक्षा के संचालन के लिए परिषद के अधिकार में रखेगी।
- ✓ संस्था के ओपक स्थलीय निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य संचय-सञ्चय ए०आई०आई०टी०आई०/पी०आई०आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की सिद्धि में नियमानुसार अनुसूचकानुसार कार्यवाही की जाएगी।



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव

पु०सं०- प्राविप/परिषद सम्बद्धता/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक K I P M COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY



(अजीत कुमार मिश्र)

सचिव



Principal

KIPM College of Engineering & Technology
GDA, Gonda

- ✓ यदि संस्थान का ए०ए०ए०सी०टी०ई०पी०सी०ए०ई० से अनुमोदन गिरता किया जाता है तो इस संबंध में समस्त अनुरोधित संस्था का द्वारा और विधिक रूप से किये गये कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। पब्लिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, पब्लिक शिक्षा निदेशालय एवं पब्लिक शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई याचिका दायर किया जाता है तथा हायर काउंसिल के आ. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपत्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपत्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश नवजात्रा द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रदेश हेतु आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०ए०ए०सी०टी०ई०पी०सी०ए०ई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रदेश की (काउन्सिलिंग के सम्बन्ध में प्रदेश परीक्षा के आधार पर/सीधे प्रदेश) अनुमति प्रदान नहीं की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु सम्य-समय पर निर्गत नवीनतम अंशक निषेधों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएँ जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, (अवकाश शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त वातावरण उपलब्ध कराते के साथ रेगिन टोकन के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो के कि संस्था में पर्यवेक्षण समितियाँ पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि-अवकाश, कक्षाएँ, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किये गये अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो सम्बन्धित संस्था की सम्बन्धित समस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था के औपचारिक स्वीकृत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, अवकाश, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा ए०ए०ए०सी०टी०ई०पी०सी०ए०ई०परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बन्धित समस्त कार्य ही जायगी।
- ✓ सम्बन्धित कक्षा का अनुपालन न किये जाने अथवा कक्षा का उपलब्ध किये जाने की स्थिति में निरन्तरानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

P. J. K.

(ए०ए०ए०सी०ई०)

अधिव

ए०ए०ए०सी०टी०ई०पी०सी०ए०ई०परिषद सम्बन्धित/2022/7818-8456

दिनांक: 30/08/2022

प्रतिनिधि -

ए०ए०ए०सी०टी०ई०पी०सी०ए०ई०परिषद K I P M COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY

P. J. K.

(ए०ए०ए०सी०ई०)

अधिव

P. J. K.
Principal
KIPM College of Engineering & Technology
GGS, Gurgaon

समस्त उपरोक्तित्व संस्था का होना और विधिक रूप में किसी भी कार्यवाही के लिए सशक्त स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रदेश प्राथमिक परिषद, प्राथमिक शिक्षा विदेशाज्य एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई बंध बाधक किया जाता है तथा बाधक बंध के संबंध में डॉ. स्वायत्तत्व द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को बंधनी होगी।

- ✓ शिक्षा: इन कार्यवाही कार्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रदेश प्राथमिक परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्राथमिक वर्ष के लिए आवंटित प्रदेश प्राथमिक हेतु कार्यालयिक धनम होने के पूर्व पीसीओ/एडिओ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यलय को उपलब्ध कराया होगा अथवा उन्हें प्रदेश की (कार्यालयिक के माध्यम से) अथवा संस्था स्तर पर सीधे प्रदेश) अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु निर्गत गरीबशिक्षा आरक्षण नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि, स्टाफ, साज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रवृत्ति शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त बालवर्षण उपलब्ध कराने के साथ रैजिन टैबल के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था का सुनिश्चित हो तो कि संस्था में प्रशासिक संचालित कार्यक्रमों को धारण करने हेतु निर्देशन समिति के समक्ष उपलब्ध कराया जावे अतिरिक्त भूमि-अवकाश, कार्यवाही, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य कार्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होगी है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्पश्चात् संस्था की सम्बन्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जाएगी।
- ✓ संस्था के स्वामीय निर्देशन दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साज-सज्जा एडिओ/पीसीओ/पीसीओ/एडिओ/परिषद के माध्यम-द्वारा उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो संस्था की सम्बन्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बन्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुशासनपरक कार्यवाही की जाएगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

एडिओ- प्राथमिक/परिषद संख्या/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्राथमिक -

प्रधानाचार्य/निदेशक, K I P M COLLEGE OF ENGINEERING AND TECHNOLOGY, PLOT NO B L - 1 & 2, SECTOR - 9, GIDA, GORAKHPUR.



(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव



Principal
KIPM College of Engineering & Technology
GIDA, Gorakhpur